...तारीख को पेश हो।

5/3/20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०। बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रति० के जवाब, तथा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

<u>तनकी नं० 1</u>:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा शपथपत्र सुल्तानसिंह प्रदर्श PW-1, शपथ पत्र कालूसिंह प्रदर्श PW-2, नकल जमाबंदी ग्राम गूण्दी 2070-73 खाता नं. 237 प्रदर्श-1, नकल खसरा गिरदावरी गूण्दी 2070-73 प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी बंदोबस्त सन् 2004-24 खा.नं. 164 प्रदर्श-3, नकल फर्द किस्तवार ग्राम गूण्दी 2004-24 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी 2057-60 खाता नं. 163 प्रदर्श-5, खाता नं. 162 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी ग्राम गूण्दी 2048-52 खाता नं. 144 प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी ग्राम गूण्दी 2041-44 खाता नं. 139 प्रदर्श-8, नकल जमाबंदी ग्राम गूण्दी सं. 2045-48 खाता नं. 135 प्रदर्श-9, नकल जमाबंदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम मण्डी सं. 2036-39 खाता नं. 134 प्रदर्श 10, नकल जमाबंदी ग्राम मण्डी 2032-35 खा. नं० 100 प्रदर्श-11, नकल खतौनी बन्दोबस्त 2011-2031 पृष्ठ 112 खा.नं. 80 प्रदर्श-12, रजि. A.D. ग्रा. मण्डी का A.RR 506446934IN दि. 30.1.17 प्रदर्श-13, 80.C.P.C. नोटिस की प्रति प्रदर्श-14, रैंक कन्साईन्मेन्ट की प्रति प्रदर्श-15 प्रस्तुत की गई थी हस्ब प्रदर्श 12 माफी रिज्यूम की जा चुकी थी तथा भूमि खेल भराई की होना प्रमाणित थी हस्ब प्रदर्श 1 वादगत भूमि पर हस्ब प्रदर्श-1 माफी रिज्यूम खैल भराई का और यथावत् अंकित थी माफी खेल भराई का तात्पर्य यह माफी है, जिसके बदले कब्जेदार ग्राम के पशुओं को पीने के लिये पानी का इन्तजाम करता था इसके बदले अर्थात ग्राम के पशुओं को पानी पिलाने के बदले में कब्जेदार से लगान वसूल नहीं होता था माफी खैल भराई की भूमि सार्वजनिक रूप से ग्राम के पशुओं को पानी पिलाने की एवज में माफ लगान करार दे दी जाती है, इस पर अर्थात इस भूमि पर हस्तान्तरणीय स्वत्व प्रोद्भूत नहीं हो सकते वादी द्वारा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि उसे अर्थात उन्हें वादगत भूमि	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जा
अर्थात हम्म अदर्श 12, वाकिब ख.नं. 185, 187, 188, 238, 347/356 किता 5 रकबा 4.12 के हम्म अदर्श 4 नवीन ख.नं. 74, 285, 287, 288, 351 किता 5 रकबा 3.13 हैक्टर पर खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत हो गये हों। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का एब्सोल्यूट राईट अर्थात खातेदारी राईट प्राप्त होना प्रमाणित नहीं है। स्वत्व के अभाव में वह वादग्रस्त भूमि पर से मालकी लेख भराई का अंकन करवाने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रतीत होती है। अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है। **तनकी नं० 2:—** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा तनकी नं. 1 में अंकित साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। जैसा कि तनकी नम्बर 1 में विवेचित किया जा चुका है, कि वादग्रस्त भूमि वादीगण को ग्राम के पशुओं के लिये पानी का इन्तजामात हेतु दी गई है। इस कारण वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है। यदि वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी मिल जाती है, तो उनके द्वारा भूमि को खुर्द-बुर्द बेचान आदि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी किया जा सकता है, इसके सार्वजनिक कार्य हेतु भूमि अवाप्त ही नहीं हुई थी। वैसे भी वादीगण द्वारा ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके आधार पर यह तय किया जा सके कि उन्हें बारानी भूमि पर खातेदारी स्वत्व प्राप्त हो गये हैं। विधि के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण को बारानी भूमि पर खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अतः यह तनकीह खिलाफ वादीगण तय की जाती है। __तनकीह नं. 3__ :- तनकीह नं. 1 व 2 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वाद वादी अस्वीकार योग्य है। प्रकरण के गुणावगुण पर मनन किया। गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुरतिब हो। निर्णय आज दि० 5/3/2020 को खुले इजलास सुनाया गया। 5/3/- (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Judi/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी
चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

कालूसिंह — बनाम — सरकार

दावा बाबत — 88, 89, R.T. Act. 1955

मुकदमा नं. — 178 — सन् — 2017

[illegible] चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

श्री S.B. माहेश्वरी एड. — [illegible] — पेशकार सरकार

— [illegible] पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

— वाद वादीगण खारिज किया जाता है। —

— मुबलिग — — बाबत —

[illegible] मुकद्दमे के मय सूद व शरह — — फीसदी सालाना आज की तारीख

[illegible] — को अदा करें।

[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 05 — माह — 03 — 2020

[illegible]

दस्तखत —
ओहदा — उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
[illegible] ..			स्टाम्प वकालतनामा	..		
[illegible] ..			स्टाम्प अर्जी	..		
[illegible] ..			महनताना वकील पर	..		
[illegible] ..			खर्चा गवाहान	..		
[illegible] गवाहान ..			फीस कमिश्नर	..		
[illegible] कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
[illegible] हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक	..		
[illegible] ..						
मीजान ..			मीजान ..			

[illegible] इस फार्म के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

[illegible]—2004—1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी